

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
(महिला एवं बाल विकास)

क्रमांक: एफ. 11(3)/मो./मीटिंग/आईसीडीएस/2022 / 1637

दिनांक 5/1/2023

बैठक सूचना

शासन सचिव महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 06 जनवरी, 2023 को दोपहर 03:00 से 04:00 बजे वी.सी के माध्यम से समस्त उप निदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की जाएगी, जिसका एजेण्डा निम्नानुसार रहेगा: -

क्र.स.	चर्चा के बिन्दु
1	नवसृजित बाल विकास परियोजनाओं का परिसीमन
2	पोषाहार
3	IGMPY योजना
4	अम्मा कार्यक्रम
5	आधारभूत सुविधाएं:- <ul style="list-style-type: none"><li>• आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण एवं मरम्मत</li><li>• पेयजल एवं शौचालय</li><li>• विधुतीकरण कार्य प्रगति की समीक्षा</li><li>• पोषण वाटिका</li></ul>
6	उड़ान योजना
7	नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण
8	ई.सी.ई. गतिविधियां
9	एन.एन.एम. (पोषण अभियान)
10	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

वी.सी. में आपके जिले/परियोजना से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। वी.सी DoIT Setup के माध्यम से की जावेगी।

(1/1)  
अतिरिक्त निदेशक (I)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ. 11(3)/मो./मीटिंग/आईसीडीएस/2022 / 1638-1690 दिनांक 5/1/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. निजी सचिव निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ।
3. संबंधित अधिकारीगण .....

निदेशालय मुख्यालय।

4. ए.सी.पी (उप निदेशक) वी. सी. की व्यवस्था करने बाबत।
5. समस्त उप निदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी।

संयुक्त निदेशक (मो. )  
समेकित बाल विकास सेवाएँ